



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 1992/आसाधा 2, 1914
No. 281] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 1992/ASADHA 2, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलम संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना]

नई दिल्ली, 23 जून, 1992

सा.का.नि. 634(अ):—मोटोरयान का सम्पूर्ण आकार (छूट के लिए शर्तों का विहित किया जाना)
नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए मोटोरयान का सम्पूर्ण आकार (छूट के लिए शर्तों का विहित किया
जाना) (संशोधन) नियम, 1992 का एक प्राख्य मोटोरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110
की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटोरयान अधिनियम, 1988
(1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड
(1) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 131 (अ), तारीख 26 फरवरी, 1992 के अधीन प्रकाशित किया गया

या जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से 30 दिन के भीतर, जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 16 मार्च, 1992 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110(3)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनोती है, अर्थात्—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1)—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटरवाहन का सम्पूर्ण आकार (छूट के लिए शर्तों का विहित जना) (संशोधन) नियम, 1992 है।

(ii) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) उपनियम (3) जिसका शीर्षक "शंकाओं का दूर किया जाना" है के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) शंकाओं का दूर किया जाना : शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी भी राज्य में इन नियमों के अधीन दी गई छूट पूरे भारत में विधिमानी होगी।"

[फा. सं. आर टी-11042/8/90-एम वी एल]

जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1992

G.S.R. 634(E).—Whereas the draft of the overall Dimensions of Motor Vehicles (Prescription of Conditions for Exemption) (Amendment) Rules, 1992 to further amend Motor Vehicles (Prescription of Conditions for Exemptions) Rules, 1992, notified in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) was published vide notification No. G.S.R. 131(E) dated 26th February, 1992 as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within 30 days from the date on which the copies of the said notification, as published in the Gazette of India were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 16th March, 1992.

And whereas, no, objections and suggestions have been received on the said draft.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110(3)(b) of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

1. Short title and commencement :—

(i) These rules may be called "Overall Dimensions of Motor Vehicles (Prescription of Conditions for Exemptions) (Amendment) Rules, 1992.

(ii) They shall come into force on the date of final publication in the Gazette of India.

2. The sub-rule (3) entitled 'Removal of Doubts' shall be substituted as follows :—

"3. Removal of Doubts : For removal of doubts, it is hereby declared that any exemption granted under these Rules in any State shall be valid throughout India."

[File No. RT-11042/8 90-MVL]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.